भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4028

उत्तर देने की तारीख : 25.03.2025

दिव्यांगता पेंशन में वृद्धि

4028. श्री अमरा रामः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केन्द्र सरकार का दिव्यांगों की पेंशन राशि में अपने हिस्से को 300 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का दिव्यांगों को पेंशन की कानूनी गारंटी देने का विचार है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार का राजस्थान के बकाया पेंशन हिस्से को जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के अंतर्गत 18-79 वर्ष की आयु के प्रत्येक लाभार्थी के लिए केन्द्रीय पेंशन 300 रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक लाभार्थी के लिए 500 रुपये प्रति माह है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने संसाधनों से कम से कम बराबर राशि का योगदान करने की सलाह दी गई है। वर्तमान में, दिव्यांग लाभार्थियों को राज्य पेंशन टॉप-अप राशि के आधार पर 300 रुपये से 4016 रुपये के बीच पेंशन मिल रही है, जो राज्य-दर-राज्य अलग-अलग है।

15वें वित्त आयोग (2021-26) के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की योजनाओं को जारी रखने पर विचार करते समय, सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत लाभार्थी कवरेज और सहायता की दर में संशोधन पर विचार किया गया। हालांकि, उपलब्ध वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए सरकार ने एनएसएपी योजनाओं को वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
वर्तमान में, एनएसएपी के तहत सहायता की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) : चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 में, राजस्थान राज्य को वित्त वर्ष 2024-25 की सभी 4 तिमाहियों और पिछले वर्षों की लंबित देनदारियों के लिए एनएसएपी योजनाओं के तहत 608.67 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
वर्तमान में, एनएसएपी के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए राजस्थान राज्य का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****